न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस
मुकदमा संख्या :– 148/2019
अनवान मुकदमां –

अमृतपाल सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख साकिन 2 एनएम ठाकरूवाला हाल गोतम कॉलोनी वार्ड न. 2 कोलायत तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. गुरदास सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी सिर्वीया तहसील व जिला बठिण्डा, पंजाब।
2. सुखपाल सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एनएम ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. करनेल कौर पत्नी जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एनएम ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. जसवीर कौर पुत्री जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एनएम ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।।

– – प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय चाण्डक अधिवक्ता --- वादी
2. श्री धन्नाराम सुथार अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 4
3. राजपैरोकार तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा --- प्रतिवादी सं. 6

–:: निर्णय :–

दिनांक –

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी का रजिस्टर्ड पता वाद पत्र के मुख्य पृष्ठ पर जो दर्ज है वही माना जावे।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 3 के पति श्री जगराज सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह के नाम से राजस्व तहसील पीलीबंगा के चक 1 लाख आरडी में संयुक्त खाता संख्या 18/17 में प0न0 34/347 में कि0न0 4/0.253, 5/0.253, 6/0.253, 7/1/0.063, 15/0.253, 16/0.253, 25/0.253 है0 कुल 1.581 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि में 1.4545 है0 बतौर खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अपने उक्त कथनों की पुष्टि में नकल जमाबदी सम्वत् 2074–77 ग्राम 1 लाख आरडी बतौर साक्ष्य वाद पत्र के साथ संलग्न की गई है। इसी प्रकार चक 12 एसटीबी ए के खाता संख्या 20/2 व प0न0 29/348 के कि0न0 11/2/0.228, 12/0.253, 19/0.253, 20/2/0.227, 21/2/0.227, 22/0.253 है0 कुल 1.441 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि वादी के पिता जगराज सिंह के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अपने कथनों की पुष्टि में प्रमाणित नकल जमाबंदी चक 12 एसटीबी ए सम्वत् 2072–75 वाद-पत्र के साथ बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जो वाद-पत्र का आधार है।

24/06/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 18:36:55 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1, 2 व 4 के पिता व प्रतिवादी नम्बर 3 के पति श्री जगराज सिंह पुत्र इन्द्र सिंह का दिनांक 20.07.2018 को स्वर्गवास हो चुका है। मृत्यु प्रमाण पत्र की फाटोप्रति संलग्न वाद किये गये है। स्व0 श्री जगराज सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह के कुल 5 जायज वारीस है। वारीस प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति संलग्न वाद की गई है।

वाद–पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज कृषि भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में अभी भी वादी के पिता स्व0 श्री जगराज सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह के नाम दर्ज चली आ रही है। जिससे वादी के हकों पर काफी असर पड़ रहा है। इसलिए उक्त वादीधिन कृषि भूमि को वर्तमान राजस्व अभिलेख में स्व0 जगराज सिंह पुत्र इन्द्र सिंह के नाम कलमजन कर उनके समस्त वारीसान के नाम 1/5–1/5 हक व हिस्सा बहिब अंकन किये जाने की घोषणा करवाने हेतु वाद–पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है। वादी के इस आशय की घोषणा स्वीकार फरमाई जावे।

वादी को अपने 1/5 हक व हिस्सा की भूमि का समतलीकरण एवं सुधार करने हेतु नगद रूपयों की आवश्यकता रहती है। सरकार के द्वारा अनेकों योजनाएं वर्तमान में चालु है जिसका लाभ वादी को उसके हक व हिस्सा की भूमि बाबत् मिल सकता है। किन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी के 1/5 हक व हिस्सा की भूमि आज भी उनके नाम दर्ज नहीं है। इसलिए वादी इन सरकारी योजनाओं के द्वारा प्रदत लाभ से वंचित रह रहा है। इसलिए वादी उक्त वादाधिन पैतृक कृषि भूमि में अपने 1/5 हक व हिस्सा भूमि होने की घोषणा करवाने का कानून हकदार भी है।

वादी ने प्रतिवादीगण से अनेकों बार निवेदन किया कि वादाधिन पैत्रिक कृषि भूमि का मौके के भौतिक कब्जा काश्तनुसार एवं निहित बहिस्सा बराबर 1/5–1/5 हक व हिस्सानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अपना–अपना नाम अंकन करा लेवें। परन्तु प्रतिवादीगण किसी ना किसी बहाने से टालमटोल करते रहे और अंत में दिनांक 21.02.2019 को चक 2 एनएम ठाकरूवाला में ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गए और कहा कि तुम्हे जल्दी है तो तुम अदालती चाराजोही करो। इस प्रकार वाद कारण दिनांक 21.02.2019 को प्रतिवादीगण के द्वारा इन्कारी पर पैदा हुआ है।

अतः वादी खिलाफ प्रतिवादीगण प्रस्तुत करके निवेदन किया गया है कि वाद वादी स्वीकार फरमाया जावे एवं जरिए डिक्री निम्नलिखित अनुतोष प्रदान कराए जावे–

वाद–पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज दोनों चकों में स्थित कृषि भूमि में स्व0 श्री जगराज सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह के समस्त वारीसान के नाम बहिब 1/5–1/5 हक व हिस्सा होने की घोषणा स्वीकार फरमाई जावे। एवं उसी अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अंकन स्वीकार फरमाया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से श्री दारा सिंह अधिवक्ता हाजिर आये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहुत मौके दिये जाने के बावजूद भी जवाब [illegible] करने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का जवाब बंद किया गया था। प्रतिवादी [illegible] की ओर से श्री शैलेन्द्र बिश्नोई हाजिर आये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाब पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। पत्रावली पर स्टेट जवाब पर कायम [illegible]ते हुए दिनांक 21.06.2022 को हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 18:06:55 IST
Reason: SelfAttested

24/06/2022

प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 4 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 209 के अन्तर्गत निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है–

1. वादी (अमृतपाल सिंह)–
   तहसील पीलीबंगा के चक 12 एसटीबी–ए के प0न0 29/348(27) के कि0न0 19/0.076(दक्षिण दिशा), 20/2/0.076(दक्षिण दिशा), 21/2/0.227, 22 की कुल 0.632 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि।
2. प्रतिवादी संख्या 1–2 (गुरदास सिंह – सुखपाल सिंह) –
   तहसील पीलीबंगा के चक 12 एसटीबी–ए के प0न0 29/348(27) के कि0प0 11/2/0.228, 12/0.253, 19/0.177 (उत्तर दिशा), 20/2/0.151 (उत्तर दिशा) की कुल 0.809 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि एवं तहसील पीलीबंगा के चक 1 लाख आरडी में संयुक्त खाता संख्या 18/17 में प0न0 34/347(7) में कि0न0 4/0.253, 5/0.253, 6/0.253, 7/1/0.063, 15/0.253, 16/0.253, 25/0.253 है0 कुल 1.581 है0 में 1.56835 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कि जाव आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 18:06:55 IST
Reason: SelfAttested

24/06/2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस
मुकदमा संख्या :– 148/2019
अनवान मुकदमा –
अमृतपाल सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख साकिन 2 एनएम ठाकरूवाला हाल गोतम कॉलोनी वार्ड न. 2 कोलायत तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान।

–– वादी

बनाम

1. गुरदास सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी सिर्वीया तहसील व जिला बठिण्डा, पंजाब।
2. सुखपाल सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एनएम ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. करनेल कौर पत्नी जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एनएम ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. जसवीर कौर पुत्री जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एनएम ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।।

– – प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :–

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–

वादी की ओर से श्री संजय चाण्डक, एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से श्री धन्नाराम सुथार, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 की धारा 88, 209 के अन्तर्गत निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है–

1. वादी (अमृतपाल सिंह)–
   तहसील पीलीबंगा के चक 12 एसटीबी–ए के प0न0 29/348(27) के कि0न0 19/0.076(दक्षिण दिशा), 20/2/0.076(दक्षिण दिशा), 21/2/0.227, 22 की कुल 0.632 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि।
2. प्रतिवादी संख्या 1–2 (गुरदास सिंह – सुखपाल सिंह)–
   तहसील पीलीबंगा के चक 12 एसटीबी–ए के प0न0 29/348(27) के कि0प0 11/2/0.228, 12/0.253, 19/0.177 (उत्तर दिशा), 20/2/0.151 (उत्तर दिशा) की कुल 0.809 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि एवं तहसील पीलीबंगा के चक 1 लाख आरडी में संयुक्त खाता संख्या 18/17 में प0न0 34/347(7) में कि0न0 4/0.253, 5/0.253, 6/0.253, 7/1/0.063, 15/0.253, 16/0.253, 25/0.253 है0 कुल 1.581 है0 में 1.56835 है0 कमाण्ड/ अनकमाण्ड मय गैर मुमकिन खाला कृषि भूमि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 18:06:55 IST
Reason: SelfAttested

24/06/2022

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/06/2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 18:06:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:– 364/2021

1. सन्तलाल पुत्र बनवारीलाल जाति कुम्हार साकिन उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. साहबराम पुत्र पृथ्वीराज जाति कुम्हार साकिन उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- प्रार्थीगण

–:बनाम:–

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार (राजस्व) गोलूवाला तहसील पीलीबंगा।

-- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी.ए. बाबत् रास्ता स्वीकृति

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता -- **प्रार्थीगण**
2. राजपैरोकार नायब तहसीलदार(राजस्व) गोलूवाला -- **अप्रार्थी**

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 22/6/2022

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के विरूद्व जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है।

प्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 टीकेडब्ल्यू के खाता सं. 9/5 के प.नं. 4/223 (11) किला नं. 1 ता 4, 8, 9, 12, 13, 18, 23 की 2.530 हैक. भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसमे प्रार्थी सं.1 सन्तलाल का 1/10 हिस्सा व प्रार्थी सं.2 का 9/10 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। चित्रप्रति जमाबंदी व नजरी नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र किये गये है।

प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित रकबा चक 4 टीकेडब्ल्यू के खाता सं. 9/5 के प.नं. 4/233 (11) किला नं. 1, 2, 3 प्रत्येक में 0.025 – 0.025 हैक. यानी 2–2 बिस्वा रास्ता बजानिब उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता चालू है। इसी रास्ता से प्रार्थीगण अपनी भूमि में आना जाना करते है व कृषि कार्य करते है।

प्रार्थीगण अपनी भूमि का विभाजन करने से पूर्व उक्त भूमि में रास्ता राजस्व रिकार्ड में बिना प्रतिफल के रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है ताकि भविष्य में प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई परेशाना ना हो। इसलिये दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में से चक 4 टीकेडब्ल्यू के खाता सं. 9/5 के प.नं. 4/233 (11) किला नं. 1, 2, 3 प्रत्येक में 0.025 – 0.025 हैक. यानी 2–2 बिस्वा रास्ता बजानिब उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज [illegible] चाहते है।

अप्रार्थी जो कि भू [illegible] पक्षकार बनाया है। प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार [illegible]धिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि चक 4 टीकेडब्ल्यू के खाता सं. 9/5 के प.नं. 4/233 (11) किला नं. 1, 2, 3 प्रत्येक में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 18:06:55 IST
Reason: SelfAttested

24.06.2022

0.025 – 0.025 हैक. यानी 2 – 2 बिस्वा रास्ता बजानिब उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा के पत्रांक राजस्व/2022/627 दिनांक 04.05.2022 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौका पर चालु है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा प0न0 5/223 मु0न0 10 कि0न0 1 ता 5 में स्वीकृतशुदा रास्त प्रार्थी की भूमि को लगता है जिसे आगे बढ़ाने के लिए इससे चिपता हुआ प0न0 4/223 मु0न0 11 कि0न0 1 ता 3 में रास्ता प्रार्थीगण आपसी सहमति से स्वयं की भूमि में स्वीकृत कराना चाहते है।

–:: आदेश ::–

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी.ए. मुताबिक तहसीलदार पीलीबंगा के पत्रांक राजस्व/2022/627 दिनांक 04.05.2022 व धारा 251(क) के प्रावधानों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र साबित होने के कारण प्रार्थी की भूमि चक 4 टीकेडब्ल्यू के खाता सं. 9/5 के प.नं. 4/233 (11) किला नं. 1, 2, 3 प्रत्येक में 0.025 – 0.025 हैक. यानी 2 – 2 बिस्वा रास्ता बजानिब उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा द्वारा रास्ते की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिंनाक 22/6/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.06.2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 18:06:55 IST
Reason: SelfAttested

(रणजीत कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:– 364/2021

1. सन्तलाल पुत्र बनवारीलाल जाति कुम्हार साकिन उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. साहबराम पुत्र पृथ्वीराज जाति कुम्हार साकिन उमेवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- प्रार्थीगण

–:बनाम:–

1. राजस्थान सरका[र ज]रिये नायब तहसीलदार (राजस्व) गोलूवाला तहसील पीलीबंगा।

-- अप्रार्थी

22/6/2022

प्रार्थ... ...न धारा 251–क आर.टी.ए. बाबत् रास्ता स्वीकृति

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

...गा अधिवक्ता -- प्रार्थीगण

...यब तहसीलदार(राजस्व) गोलूवाला -- अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 22/6/2022

प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के विरूद्व जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है।

प्रार्थीगण के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 4 टीकेडब्ल्यू के खाता सं. 9/5 के प.नं. 4/223 (11) किला नं. 1 ता 4, 8, 9, 12, 13, 18, 23 की 2.530 हैक. भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसमे प्रार्थी सं.1 सन्तलाल का 1/10 हिस्सा व प्रार्थी सं.2 का 9/10 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। चित्रप्रति जमाबंदी व नजरी नक्शा सलग्न प्रार्थना पत्र किये गये है।

प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित रकबा चक 4 टीकेडब्ल्यू के खाता सं. 9/5 के प.नं. 4/233 (11) किला नं. 1, 2, 3 प्रत्येक में 0.025 – 0.025 हैक. यानी 2–2 बिस्वा रास्ता बजानिब उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता चालू है। इसी रास्ता से प्रार्थीगण अपनी भूमि में आना जाना करते है व कृषि कार्य करते है।

प्रार्थीगण अपनी भूमि का विभाजन करने से पूर्व उक्त भूमि में रास्ता राजस्व रिकार्ड में बिना प्रतिफल के रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है ताकि भविष्य में प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई परेशाना ना हो। इसलिये दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि में से चक 4 टीकेडब्ल्यू के खाता सं. 9/5 के प.नं. 4/233 (11) किला नं. 1, 2, 3 प्रत्येक में 0.025 – 0.025 हैक. यानी 2–2 बिस्वा रास्ता बजानिब उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

अप्रार्थी जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं ...धिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 18:06:55 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि चक 4 टीकेडब्ल्यू के खाता सं. 9/5 के प.नं. 4/233 (11) किला नं. 1, 2, 3 प्रत्येक में

24.06.2022

0.025 – 0.025 हैक. यानी 2 – 2 बिस्वा रास्ता बजानिब उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा के पत्रांक राजस्व/2022/627 दिनांक 04.05.2022 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौका पर चालु है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा प0न0 5/223 मु0न0 10 कि0न0 1 ता 5 में स्वीकृतशुदा रास्त प्रार्थी की भूमि को लगता है जिसे आगे बढ़ाने के लिए इससे चिपता हुआ प0न0 4/223 मु0न0 11 कि0न0 1 ता 3 में रास्ता प्रार्थीगण आपसी सहमति से स्वयं की भूमि में स्वीकृत कराना चाहते है।

–:: आदेश ::–

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी.ए. मुताबिक तहसीलदार पीलीबंगा के पत्रांक राजस्व/2022/627 दिनांक 04.05.2022 व धारा 251(क) के प्रावधानों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र साबित होने के कारण प्रार्थी की भूमि चक 4 टीकेडब्ल्यू के खाता सं. 9/5 के प.नं. 4/233 (11) किला नं. 1, 2, 3 प्रत्येक में 0.025 – 0.025 हैक. यानी 2 – 2 बिस्वा रास्ता बजानिब उतरी दिशा पूर्व से पश्चिम लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा द्वारा रास्ते की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिंनाक 22/6/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.06.2022

(रणजीत कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 18:06:55 IST
Reason: SelfAttested